अपशिष्ट जल प्रबंधन नीति

1. निगम क्षेत्र के अधिकांश गाँवों में लोगों के पास सेप्टिक टैंक कि सुविधा हैं और इन्हे टैंकरों के माध्यम से साफ किया जाता है। ये टैंकर सीवेज आदि को खुली जगहों पर या नालियों में बहा देते हैं। यह न केवल जल संसाधनों को प्रदूषित करता है बल्कि बीमारी फैलने का भी कारण बन सकता है।

इसलिए, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 292 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत ऐसी घटना की संभावना को खारिज करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते है।

i. जो भी टैंकर मालिक/धारक यह काम करना चाहते हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे नगर निगम मानेसर में अपना पंजीकरण करवा लें। पंजीकृत टैंकर्स निगम मानेसर के प्रतीक चिन्ह(Logo) को चित्रित करेंगे और टैंकर पर पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

ii. ट्रैक्टर पंजीकरण आदि के कागजात प्राप्त करने के बाद संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करेंगे। एक मॉडल आवेदन फाइल इसके साथ संलग्न है।

iii. सीवेज अपशिष्ट के मुख्य प्रवर्तक / जनक सोसाइटीज आदि केवल पंजीकृत टैंकर को ही सीवेज प्रदान करेंगे अन्यथा एन.जी.टी. के आदेश के अनुसार जुर्माने के साथ उनका चालान भी किया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 1,00,000रु– (केवल एक लाख रुपये) का जुर्माना और बाद में हर एक बार उल्लंघन करने पर तय जुर्माना राशि की 20% बढ़ोतरी के साथ जुर्माना किया जाएगा ।

iv. सभी ट्रेक्टर –टैंकर मलिक अपने ट्रेक्टर–टैंकर पर जी.पी.एस. ट्रैकर लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा पंजीकरण के वक्त जी.पी.एस. लिंक निगम कार्यालय में संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

v. एम.सी.एम. क्षेत्र में केवल एक एस.टी.पी. है जिसका स्वामित्व जी.एम.डी.ए. के पास है।

vi. ट्रेक्टर –टैंकर के पंजीकरण का वार्षिक शुल्क 5000रु/– रुपये होगा। पंजीकरण अविध समाप्त होने पर दोबारा शुल्क जमा कर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ट्रेक्टर –टैंकर का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। यह सुल्क आपकी ओर से सी.एफ. सी. निगम मानेसर में जमा किया जाना चाहिए।

vii. किसी भी टैंकर को बिना पंजीकरण के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर टैंकर को जब्त कर लिया जाएगा तथा मालिक/संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करते पकड़े जाने पर 5000रु/– (केवल पांच हजार रुपये) और बाद में हर बार उल्लंघन करते पकड़े जाने पर 20% बढ़ोतरी के साथ जुर्माना लगाया जायेगा। यह वाहन निगम मानेसर में पंजीकृत होने के बाद ही छोड़ा जाएगा।

viii. सभी एस.टी.पी. प्रभारी/सेवा प्रदाता इन टैंकरों के माध्यम से लंबे समय तक इंतजार कराए बिना सीवेज लेने का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

ix. यह आदेश एस.टी.पी. टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की प्रत्यक्ष देखरेख में लागू किया जाएगा। सलाहकार स्वच्छता आयुक्त, नगर निगम मानेसर इसके नोडल अधिकारी होंगे। संबंधित एस. एस.आई./एस.आई./जे.ई. अपने–अपने क्षेत्र में प्रत्येक टैंकर की जांच करेंगे और इस आदेश की प्रति सौंपेंगे और पंजीकरण संख्या नोट करेंगे। टैंकर का नाम, मालिक और ड्राइवर का नाम, उनक मोबाइल नंबर और पता इत्यादि नोट करेंगे।

x. कार्यकारी अभियंता (एस.बी.एम.) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करवाकर उपरोक्त आदेशों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेंगे। आदेश एम.सी. मानेसर की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 292(2) के आधार पर इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1850 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें एक अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। पहली बार पता चलने पर 5000रु/– (केवल पांच हजार रुपये) जुर्माने राशि और दुसरी बार पता चलने पर 20% बढ़ोतरी के साथ जुर्माना किया जा सकता है। कारावास और जुर्माना एक साथ भी किए जा सकते है ।
3. किसी भी कीमत पर व्यापारिक अपशिष्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन पर नियम के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
4. उन पर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
5. उन पर पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
7. जो ट्रैक्टर हाल–फिलहाल नगर निगम मानेसर मे पंजीकृत है यह नीति उन पर भी लागू होगी और इस नीति के तहत वो फिर से पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे।

एस0टी0पी0 में सीवेज के निपटान के लिए टैंकर आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. नाम (व्यक्तिगत/फर्म) : ______________________
2. पता : ______________________
3. आधार कार्ड नंबर : ______________________
4. वाहन पंजीकरण संख्या : ______________________
5. टैंकर की क्षमता : ______________________
6. वार्ड संख्या/सेक्टर संख्या जहां टैंकर संचालित किया जाएगा : ______________________
7. ड्राइवर का नाम : ______________________
8. मोबाइल नंबर ड्राइवर : ______________________
9. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट
    - i. आधार कार्ड की प्रति : ______________________
    - ii. वैध वाहन पंजीकरण की प्रतिलिपि : ______________________
    - iii. वैध बीमा की प्रति : ______________________
    - iv. पते का प्रमाण : ______________________
    - v. ड्राइवर का वैध ड्राइविंग लाइसेंस : ______________________

उपक्रम

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैं टैंकर सहित उस वाहन का कानूनी मालिक हूं जिसके लिए पंजीकरण लागू किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के पास वाहन का वैध पंजीकरण और साथ ही चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रपत्र में दी गई जानकारी सही है। यदि किसी भी स्तर पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मैं अपना पंजीकरण रद्द करने और अपने वाहन को जब्त करने के लिए सहमत हूं और उस समय लागू विभाग के नियमों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी रहूँगा।
4. प्रमाणित किया जाता है कि वाहन द्वारा सीवेज के निपटान के कारण किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना और बाद में नागरिक और आपराधिक दावोंध्नुकसान के लिए अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार होगा।
5. मैं इस संबंध में समय–समय पर लागू विभाग के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

दिनांकः

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम: ____________

मोबाइल नंबर: ______________

ईमेल: ______________________

SS